राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
ब्लॉक - डीडी-34, सेक्टर-I, साल्टलेक सिटी, कोलकाता - 700 064.

संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (पूर्वाभुमिखीकरण / पुनश्चर्चा), पुस्तक प्रदर्शनियों और पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता की समतुल्य योजना

1. शीर्षक एवं उद्देश्य

आरआरआरएलएफ इस तथ्य से परिचित है कि समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार पुस्तकालय सेवा की विषय वस्तु और गुणवता में निरंतर मूल्यांकन और सुधार की आवश्यकता है । इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु आरआरआरएलएफ ने यह योजना अंगीकृत की है । यह एक समतुल्य योजना है ।

यह योजना "संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों (पूर्वाभिमुखीकरण / पुनश्चर्चा), पुस्तक प्रदर्शनियों और पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन" के लिए सहायता की समतुल्य योजना के रूप में जानी जाती है ।

2. सहायता योग्य संस्थान / संगठन

(अ) समतुल्य निधि से इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन, पुस्तकालय सेवाओं के प्रभारी विभाग / निदेशालय, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय संघों और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का प्रशिक्षण देने वाली संस्थानों को दी जाती है ।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए किसी गैर सरकारी संस्थान को पंजीकृत सोसाइटी / न्यास होना चाहिए जिसकी निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी :

(i) वह परियोजना / पुस्तकालय जिसके लिए सहायता आवश्यक हो उसे क्रियान्वित करने के लिए इसके पास आवश्यक सुविधाएँ, संसाधन, कार्मिक और अनुभव होने चाहिए ।

(ii) राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रशासन द्वारा इसके कार्य संतोषप्रद पाये जाने चाहिए ।

(iii) यह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए परिचालित नहीं हो ।

(iv) बिना किसी भेदभाव के पुस्तकालय सर्वसुलभ हो ।

3. सहायता के क्षेत्र

योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाएगी निम्नलिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए:-

(अ) निदेशालय या राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा राज्य स्तरीय संगोष्ठियों और कार्यशलाओं के आयोजन के लिए - रूपये 3.00 लाख

(ब) जिला/उपमंडल/शहर/ग्रामीण स्तरीय कार्यक्रम

(i) संगोष्ठी/जागरूकता कार्यक्रम - रूपये 1.50 लाख

(ii) एक दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला - रूपये 1.50 लाख

(iii) दो दिवसीय प्रशिक्षण/कार्यशाला - 2.50 लाख

(iv) तीन दिवसीय प्रशिक्षण/ कार्यशाला - रूपये 3.00 लाख

उपर्युक्त उल्लिखित कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम के लिए पुस्तकालय सहायता प्राप्त कर सकता है बशर्ते संयोजक/निदेशक का अनुमोदन प्राप्त हो।

(स) पुस्तक मेला/प्रदर्शनी प्रति वर्ष प्रति जिला रूपये 2.00 लाख।

इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य सामग्रियों पर विचार किया जा सकता है। सामान्यतया ऐसी परियोजना को सहायता नहीं दी जाएगी जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रशासन की किसी योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए शामिल हो ।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की विधि

(अ) सिर्फ राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजक की संस्तुति के साथ ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे ।

(ब) संलग्न कागजातों के साथ पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(स) राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रशासन या राज्य पुस्तकालय समिति / राज्य पुस्तकालय योजना समिति द्वारा आवदेन पत्र की जाँच की जाएगी और यथोचित संस्तुति के साथ विहित प्रपत्र में इसे अग्रेषित किया जाएगा ।

(द) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना संलग्न होनी चाहिए और कार्यक्रम शुरू होने से दो माह पूर्व आरआरआरएलएफ के पास पहुँचना चाहिए;

(i) सरकारी विभाग / संस्थान स्वशासित संगठन के मामले में परियोजना / प्रस्ताव / प्रायोजित करने वाले विभागीय प्रधान / कार्यालय प्रधान का पदनाम ;

(ii) गैर सरकारी संस्थान / पुस्तकालय संघ के मामले में, संगठन का संविधान / संघ का ज्ञापन, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे और सोसाइटी पंजीयन प्रमाणपत्र ;

(iii) उस परियोजना / प्रस्ताव का विस्तृत विवरण जिसके लिए सहायता मांगी जा रही हो जिसमें अवधि, समय, स्थल, विद्वत व्यक्तियों के नाम और संगोष्ठी के विषय का उल्लेख हो ;

(iv) परियोजना / प्रस्ताव का वित्तीय विवरण जिसमें खर्च का मदवार विवरण दिया गया हो और इस बात का भी उल्लेख हो कि शेष निधि कहाँ से प्राप्त की जाएगी ;

(v) अन्य निकायों से प्राप्त, वचनवद्ध या प्रार्थित अनुदान से संबंधित सूचना, यदि कोई हो ;

5. अनुदान की शर्तें :

(ए) परियोजना की मंजूरी के साथ अनुदान जारी किया जाएगा ।

(बी) आरआरआरएलएफ या राज्य सरकार या केन्द्रशासित प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान / संगठन का निरीक्षण किया जाएगा।

(सी) परियोजना के लेखे उचित प्रकार से पृथक रूप से रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार समय पर इन्हें प्रस्तुत करना होगा ।

(डी) एक बार जब परियोजना और प्राक्कलन अनुमोदित हो जाए और इन प्राक्कलनों के आधार पर यदि अनुदान का निर्धारण किया जाता है तो उन्हें आरआरआरएलएफ की पूर्वाअनुमति के बिना संशोधित नहीं किया जाएगा ।

(ई) मंजूरी आदेश प्राप्ति से पूर्व के खर्च को अनुदान की उपयोगिता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

(एफ) आरआरआरएलएफ के पास यह अधिकारी सुरक्षित रहेगा कि वह संगोष्ठी / सम्मेलन इत्यादि में प्रतिभागी के रूप में भाग लेने के लिए बिना किसी पंजीयन शुल्क के दो प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त कर सके ।

(जी) विवरण में शामिल नहीं किये गये किसी मुद्दे पर यदि आरआरआरएलएफ को किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है तो संस्थान / संगठन उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(एच) यदि आरआरआरएलएफ / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रशासन को यह विश्वास हो जाए कि मंजूर की गयी राशि का उपयोग अनुमोदित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा है तो सहायता का भुगतान बन्द कर दिया जाएगा और पहले दी गयी सहायता की वसूली की जाएगी ।

(आई) परियोजना / प्रस्ताव के अनुमोदन तथा सहायता राशि के संबंध में आरआरआरएलएफ का निर्णय अंतिम होगा और अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए सभी मामलों में मान्य होगा ।

6. अनुदान की उपयोगिता के बाद दस्तावेजों की प्रस्तुति

(अ) **गैर सरकारी संगठनों के मामलों में,** अनुदान प्रापक संगठन / संस्थान आरआरआरएलएफ को विहित प्रपत्र में परियोजना समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे जो संगठन द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं चार्टरित लेखापाल / सरकारी लेखा परीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा जिसके साथ अनुदान के लेखा परीक्षित लेखे संलग्न होंगे और इनके साथ संगोष्ठी / कार्यशाला में प्रस्तुत पर्चों की प्रतियाँ, प्रकाशन की दो प्रतियाँ, यदि कोई हो और कार्यक्रम के फोटोग्राफ सहित परियोजना का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा ।

(ब) **सरकारी संगठन के मामले में,** अनुदान प्रापक संगठन आरआरआरएलएफ को परियोजना समाप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र और खर्च का विवरण प्रस्तुत करेंगे जो आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित और कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा जिसके साथ संगोष्ठी / कार्यशाला में प्रस्तुत पर्चों की प्रतियाँ, प्रकाशन की दो प्रतियाँ, यदि कोई हों, और कार्यक्रम के फोटोग्राफ सहित प्रतिवेदन भी सलंग्न होगा ।

(सी) निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिना किसी मान्य कारणों के उपयोगिता से संबंधित दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में अनुदान प्रापक संस्थान आरआरआरएलएफ को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए जिम्मेवार होगा ।